न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थनापत्र 12/2023 (2023/42)

1. खुशीराम कुमावत पुत्र बद्रीलाल कुमावत
2. दुर्गालाल कुमावत पुत्र बद्रीलाल कुमावत
   समस्त जाति कुमावत निवासीगण देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर

----प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रवण पुत्र भूरा माली
2. महादेव पुत्र बजरंग कुमावत
3. हरजी पुत्र हजारी कुमावत
4. रामस्वरूप पुत्र बजरंग माली
5. घीसा पुत्र भूरा माली
6. गोकुल पुत्र रतना कुमावत
   समस्त निवासीगण देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर
7. श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—

श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 04/04/23

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

खेवट खतोनी संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
45—46	1778 1779 1781	0.28 0.19 0.12	चाही उत्तम चा. उ., जा. उ. गै.मु.खड्डा
	कुल किता 3	**कुल रकबा 0.59 है.**	

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिस पर अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है। प्रार्थीगण ही उक्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 उक्त आराजीयात के पडौसी खातेदार है जो स्थायी सीमा चिन्ह नही होने के कारण आये दिन फसल काश्त करते समय एवं फसल की सुरक्षा हेतु तारबंदी करवाते समय विवाद करते हुए तारबंदी नही करने दे रहे है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध व गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत से हैरान व परेशान करते रहते है तथा सीमा चिन्ह जीर्णशीर्ण होने की वजह से आये दिन प्रार्थीगण की भूमि के हिस्से पर काश्त करने पर आमादा रहते है। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने तथा जबरन बैदखल करने की धमकियां देते है। दिनांक 05.10.2022 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात पर बद्धनियति पूर्वक अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने की धमकियां देते हुए आये और प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये इसलिए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कृषि भूमि को नाम चोप कर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किया जाना प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात का नापचोप कर स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित की गई जिसमे बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी करवाने का हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी के खाता संख्या नया–पुराना 45–46 में दर्ज खसरा नम्बर 1778, 1779, 1781 किता 3 कुल रकबा 0.59 हैक्टर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकडी द्वारा नियमानुसार कार्मिकों की टीम गठित करके आदेश की पालना की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner